# ग्राम पंचायत द्रुग, विकास खण्ड पंचरुखी, जिला कांगड़ा के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

## अवधि 01.04.13 से 31.03.16

## भाग–एक

**1 (क) प्रस्तावना:-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत द्रुग, विकास खण्ड पंचरुखी, जिला कांगड़ा के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

**अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे:-**

**प्रधान:-**

| क्र॰ सं॰ | नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1 | श्रीमति रीतु देवी | 01.04.13 से 22.01.16 |
| 2 | श्री प्रदीप चन्द | 23.01.16 से अद्यतन |

**सचिव:-**

| क्र॰ सं॰ | नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1 | श्री सरवन कुमार | 01.04.13 से 22.06.13 |
| 2 | श्री अवतार सिंह | 23.06.13 से 31.03.16 |

**(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-**

ग्राम पंचायत द्रुग के लेखाओं अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

| क्र०सं० | पैरा सं० | अनियमितता का संक्षिप्त सार | राशि (लाखों में) |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.2 | रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान न करना | - |
| 2 | 4.4 | नियम के अनुसार पंचायत निधि के लेखे खाते तैयार न करना | - |
| 3 | 5 | पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष | 0.32 |
| 4 | 6 | अनुदान का उपयोग न करना | 8.97 |
| 5 | 8 | औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना | 2.32 |
| 6 | 9 | क्रय सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न | 2.77 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | करना | |
| 7 | 10 | बजट प्राक्कलन तैयार न करना | - |
| 8 | 11 | व्ययों से संबन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करना | 1.42 |
| 9 | 12 | 13700 ईटों का संभावित दुरुपयोग करना | - |

## भाग-दो

**2 वर्तमान अंकेक्षण:-**

ग्राम पंचायत द्रुग, विकास खण्ड पंचरुखी, जिला कांगड़ा के अवधि 4/2013 से 03/2016 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री संदीप कमल, अनुभाग अधिकारी व श्री नरेन्द्र कुमार, आर्टिक्ल सहायक द्वारा दिनांक 25.03.17 से 29.03.2017 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

| वित्तीय वर्ष | आय | व्यय |
|---|---|---|
| 2013-14 | 07/2013 | 12/2013 |
| 2014-15 | 09/2014 | 12/2014 |
| 2015-16 | 12/2015 | 05/2015 |

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा ।

**3 अंकेक्षण शुल्क:-**

ग्राम पंचायत द्रुग, विकास खण्ड पंचरुखी, जिला कांगड़ा के अवधि 4/2013 से 3/2016 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है । उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या

322 दिनांक 29.03.17 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में पंचायत द्वारा ड्राफ्ट संख्या 33177 (HGB) दिनांक 07.04.17 द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि0प्र0) शिमला-171009 को प्रेषित कर दी गई है।

**4 वितीय स्थिति:-**

ग्राम पंचायत द्रुग, द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के लेखाओं वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी:-

**(1) स्वः स्त्रोत:-** ग्राम पंचायत द्रुग, के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 तक की स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

| वर्ष | अथशेष | प्राप्ति | योग | व्यय | अन्तिम शेष |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | 34021 | 10644 | 44665 | 13803 | 30862 |
| 2014-15 | 30862 | 121 | 30983 | 16816 | 14167 |
| 2015-16 | 14167 | 2654 | 16821 | 14796 | 2025 |

**(2) अनुदान:-** ग्राम पंचायत द्रुग, के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1** में भी दिया गया है:-

| वर्ष | अथशेष | प्राप्ति | योग | व्यय | अन्तिम शेष |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | 626459 | 3390719 | 4017178 | 3052716 | 964462 |
| 2014-15 | 964462 | 2640098 | 3604560 | 2948507 | 656053 |
| 2015-16 | 656053 | 2406561 | 3062614 | 2165818 | 896796 |

**4.1 बैंक समाधान विवरणी :-**

**स्वः स्त्रोत**

दिनांक 31.03.16 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹2025

**अनुदान**

दिनांक 31.03.16 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष ₹ 896796

योग ₹898821

दिनांक 31.03.16 को बैंक खातों में शेष ₹ 898712

हस्तगत राशि ₹ 109

योग ₹898821

दिनांक 31.3.2016 को बैंक खातों का विवरण

| बैंक खाता संख्या | राशि |
|---|---|
| MNREGA, HGB– 33061 | 0 |
| MNREGA, HGB– 39392 | 0 |
| MNREGA, PNB– 21166 | 0 |
| General, Own Source, HGB – 45684 | 5504 |
| General, Own Source, KCCB – 06942 | 338480 |
| IAY HGB – 47202 | 3396 |

| | |
|---|---|
| SDP –HGB- 47257 | 26612 |
| 13th FC HGB – 47275 | 425228 |
| VKVNY HGB – 47248 | 9968 |
| AAY HGB – 47211 | 2088 |
| WDP HGB – 37376 | 47682 |
| IWDP HGB – 37083 | 39754 |
| **कुल राशि** | **898712** |

**4.2 रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान न करना :-**

ग्राम पंचायत द्रुग की रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करना अपेक्षित था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ वहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

**4.3** जांच में पाया कि सामान्य रोकड़ वही व वॉटर शेड की रोकड़ वही अवधि 04/2013 से 03/2016 में दर्ज प्रविष्टियों को आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं की गई थी जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ।

**4.4 नियम के अनुसार पंचायत निधि के लेखे खाते तैयार न करना:-**

पंचायत के लेखों की जांच में पाया कि पंचायत में लेखों का रख-रखाब हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते ) नियम 2002 के नियम 29 (2) के अनुसार खाता-क एवं खाता-ख के अनुरूप तैयार नहीं किया गया था। अतः नियमों के अनुसार लेखों का रख-रखाब न रखने का औचित्य स्पष्ट किया जाये व भविष्य में नियमों के अनुसार लेखे खाते खोलकर नियम 3 व नियम 4 में वर्णित शीर्षों के अनुसार पंचायत में प्राप्त आय को खाता-क व अनुदानों को खाता-ख में जमा करना सुनिश्चित करें ।

**5 पंचायत राजस्व ₹0.32 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना:-**

पंचायत की स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि गृहकर की मांग अवधि 01.04.13 से 31.03.16 तक नहीं की गई थी जो कि एक अत्यन्त गम्भीर अनियमितता है क्योंकि गृहकर पंचायत की आय का मुख्य स्त्रोत है एवं इससे पंचायत को ब्याज के रूप में भी हानि हुई है तथा पंचायत के विकास कार्य भी अवरुद्ध रहे। अतः गृहकर की मांग व वसूली नियमानुसार प्रतिवर्ष न करने एवं गृहकर का रजिस्टर तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट करें तथा भविष्य में प्रतिवर्ष गृहकर की मांग व वसूली करना

सुनिश्चित करें। निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.16 तक पंचायत के राजस्व ₹31800 की वसूली हेतु शेष थी।

**1. गृहकर:**

| वर्ष | अथशेष | मांग की जानी अपेक्षित | योग | प्राप्ति | वसूली हेतु शेष राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | 10760 | 10760 | 21520 | 10020 | 11500 |
| 2014-15 | 11500 | 10885 | 22385 | 125 | 22260 |
| 2015-16 | 22260 | 11010 | 33270 | 1470 | 31800 |

**2 भू- राजस्व की वसूली न करना :-**

पंचायत की स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेखों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 2015-16 में में भू-राजस्व की वसूली नहीं की थी एवं न ही इसकी वसूली हेतु उचित प्रयास किए गए थे। अतः नियमानुसार भू-राजस्व की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट करने के साथ-साथ इसकी वसूली प्रतिवर्ष करना सुनिश्चित करें ।

3 जांच में पाया कि वर्ष 2013-14 में गृह कर के रूप में ₹10020 वसूल की गई थी लेकिन पंचायत के खाते में केवल ₹9665 ही जमा किए गए थे, अर्थात वर्ष 2013-14 में ₹355 कम जमा करवाये गए थे । अतः इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके पंचायत के खाते में जमा करवाना सुनिश्चित करें ।

**6 अनुदान ₹8.97 लाख का उपयोग न करना :-**

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट-1)** के अनुसार दिनांक 31.03.16 तक अनुदान ₹896796 उपयोग हेतु शेष थी । ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ- साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने बाले लाभ से वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये।

**7 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही व्यय करना :-**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था । निर्माण कार्यों से संबन्धित व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-2** में दिये गए विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर व्यय प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना ही किया गया, जो कि नियमों के अनुकूल न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। इसके

अतिरिक्त जांच में पाया कि हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 के अनुसार वही खाते भी तैयार नहीं किए गए थे जिससे वर्णित कार्यों पर खर्च की गई राशि का पता नहीं चल सका। अतः निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए।

8 **औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹2.32 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:-**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4), 67 (5) एवं 69 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें (निविदायें इत्यादि आमंत्रित करना) प्रावधित है। चयनित माहों के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-3** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹232109 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9 **₹2.77 लाख की क्रय सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना :-**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69, 70 एवं 71 में क्रय की गई सामग्री के भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज करने, जारी करने एवं भण्डारण संबन्धित औपचारिकतायें प्रावधित है । चयनित माहों के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-4** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹277289 की क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में नहीं किया गया था, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये समस्त क्रय की गई सामग्री का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में करना व उपयोग संबन्धित अभिलेख तैयार कर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10 **बजट प्राक्कलन तैयार न करना:-**

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों

को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

**11 ₹1.42 लाख के व्यय से संबन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करना:-**

जांच में पाया कि निम्नलिखित भुगतान विभिन्न दिनांक को पंचायत निधि से किये गये थे लेकिन इन भुगतानों से संबन्धित अभिलेख आवश्यक जांच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे इन भुगतानों की सत्यता की पुष्टि नहीं हो सकी । अभिलेख उपलब्ध न करवाना पचायती राज वित नियम 2002 के नियम 47(1)(2) की भी स्पष्ट अवहेलना है। अतः अभिलेख प्रस्तुत न करने का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा ₹142207 के अनियमित व्यय की वसूली उचित स्त्रोत से करके पंचायत निधि मे जमा करने के उपरांत कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ । भुगतानों का विवरण निम्नलिखित है :-

| क्र.सं. | निधि का नाम | चैक संख्या / दिनांक | राशि |
|---|---|---|---|
| 1. | General Cash Book | Withdrawl vide Cheque No. 85805 Dated 05.03.14 | 45400.00 |
| 2. | -do- | Withdrawl vide Cheque No. 107854 Dated 07.10.14 | 14000.00 |
| 3. | -do- | Withdrawl vide Cheque No. 107856 Dated 07.10.14 | 13772.00 |
| 4. | -do- | Withdrawl vide Cheque No. 87879 Dated 14.03.15 | 5022.00 |
| 5. | -do- | Withdrawl vide Cheque No. 172651 Dated 05.06.15 | 15000.00 |
| 6. | -do- | Withdrawl vide Cheque No. 107875 Dated 05.06.15 | 10500.00 |
| 7. | -do- | Withdrawl vide Cheque No. 107876 Dated 05.06.15 | 6433.00 |
| 8. | -do- | Withdrawl vide Cheque No. 121467 Dated 07.12.15 | 5355.00 |
| 9. | Water Cash Book | निo पक्का चैक डैम, द्रुग नाला के अन्तर्गत श्री विरेन्द्र राणा को भुगतान | 26725.00 |
| | | **कुल राशि** | **142207.00** |

**12 लगभग 13700 ईटों का दुरुपयोग करने बारे :-**

जांच में पाया कि निर्माण कार्य " जंज घर, घंडेरा" ( SDP) में मद "Demolition of brick work" माप पुस्तिका 7215 पृष्ठ 13 में 28.85 $m^3$ मात्रा का निष्पादन किया गया था, जिसमें लगभग 13700 ईटें निकलनी अपेक्षित थी । लेकिन इन ईटों को न तो कार्य में प्रयोग किया गया था एवं न ही इनकी प्रविष्टि भण्डार रजिस्टर में की गई थी । बल्कि उक्त कार्य में मद "brick work using common brunt clay" का निष्पादन किया गया था एवं 5500 ईटों का क्रय ₹

40500/- में किया गया था । अतः उक्त निर्माण कार्य में ईटों का क्रय करने का एवं demolition work में प्राप्त ईटों का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करने का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा 13700 ईटों के मूल्य की वसूली उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित करें ।

**13 निर्माण कार्य में निर्माण सामग्री का प्रयोग सही अनुपात में न करना :-**

**" नि. जीप योग्य रास्ता ब्रतु राम के घर से बल्ह कूफर पृथों ":**

माप पुस्तिका 7214 पृष्ठ 52-55 में परिमाप की प्रविष्टियों की जांच में पाया कि इस कार्य के लिए सीमेंट, रेत व बजरी की खपत से संबन्धित निम्नलिखित मदों का निष्पादन किया गया था, जिसके लिए नियमानुसार निम्नलिखित सामग्री की खपत अपेक्षित थी :

जांच में पाया कि उक्त कार्य में अपेक्षित 216 बैग सीमेंट के स्थान पर केवल 180 बैग सीमेंट का ही प्रयोग किया गया था जबकि रेत व बजरी की खपत 2223 CFT के स्थान पर 2750 CFT की गई दर्शाई गई थी। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त कार्य के निर्माण में सीमेंट, रेत व बजरी की सही मात्रा नहीं डाली गई थी जिससे उक्त कार्य के निर्माण की गुणवता पर संदेह पैदा होता है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें।

**14 ₹1000 का अनियमित भुगतान:-**

जांच में पाया कि निर्माण कार्य "पक्का चैक डैम, द्रुग नाला (वाटर शैड) में चैक संख्या 148414 दिनांक 20.11.13 द्वारा श्रमिकों को मजदूरी के रूप में ₹40000 का भुगतान किया गया था जबकि मस्ट्रोल में वर्णित मजदूरों के पारिश्रमिक की कुल ₹39150 बनती है एवं तकनीकी सहायक द्वारा माप पुस्तिका 7215 के पृष्ठ

| **मद का नाम व निष्पादित मात्रा** | **सीमेंट की अपेक्षित मात्रा** | **रेत की अपेक्षित मात्रा** | **बजरी की अपेक्षित मात्रा (20mm एवं 75mm)** |
|---|---|---|---|
| P/L C:C 1:6:12, 3.71 CUM | 3.71 X 2.20 = 8.16 बैग | 3.71 X 0.47 = 1.74 CUM OR 61 CFT | 3.71 X 0.89 = 3.30 CUM OR 116 CFT |
| RR Masonary 1:6, 41.47 CUM | 41.47 X 1.60 = 66.35 बैग | 41.47 X 0.35 = 14.51 CUM OR 510 CFT | - |
| P/L C:C 1:3:6, 32.17 CUM | 32.17 X 4.40 = 141.55 बैग | 32.17 X 0.47 = 15.12 CUM OR 531 CFT | 32.17 X 0.89 = 28.63 CUM OR 1005 CFT |
| **कुल मात्रा** | **216 बैग** | **1102 CFT** | **1121 CFT** |

3 में उक्त कार्य में मजदूरों के पारिश्रमिक का मूल्यांकन ₹39000 का किया गया था। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त कार्य में मजदूरों के पारिश्रमिक के रूप में ₹1000 का अनियमित एवं अधिक भुगतान किया गया था, जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त जांच में पाया कि मस्ट्रोल को प्रस्ताव

पास करके न तो उक्त कार्य के लिए जारी किया गया था एवं न ही आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया था। अतः नियमों के अनुसार मस्ट्रोल को जारी न करने व सत्यापित किए बिना भुगतान करने का औचित्य भी स्पष्ट करें।

**15 (1) 34 बैग सीमेंट का सम्भावित दुरुपयोग :-**

भण्डार रजिस्टर की जांच में पाया कि भण्डार रजिस्टर के पृष्ठ संख्या-34 दिनांक 04.01.15 में 34 बैग सीमेंट के दर्ज थे जिन्हे आगे अग्रेनित नहीं किया गया था एवं न ही इनका प्रयोग किसी कार्य में किया गया था । अतः ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त वर्णित 34 सीमेंट बैग का दुरुपयोग किया गया था । अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित करें।

**(2) सीमेंट बैग की प्रविष्टियाँ भण्डार रजिस्टर में न करने से संभावित दुरुपयोगः-**

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत में नियमों के अनुसार सीमेंट बैग के क्रय की प्रविष्टियाँ भण्डार रजिस्टर में नहीं की गई थी एवं न ही यह दर्शाया गया था कि क्रय किए गए सीमेंट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया गया था, जिससे सीमेंट के दुरुपयोग की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः नियमों के अनुसार सीमेंट के क्रय के इन्द्राज एवं निर्गमन की प्रविष्टियाँ भण्डार रजिस्टर में न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुये यह भी स्पष्ट करें कि निम्नलिखित क्रय की गई सीमेंट बैग की मात्रा का प्रयोग किस कार्य में कितना किया गया था :

| क्र.सं. | वाउचर संख्या | क्रय सीमेंट का विवरण | सीमेंट की मात्रा |
|---|---|---|---|
| 1 | - | Bill No. 128714 Dated 29.01.15<br>HP State Civil Supply Corp.<br>₹37650 | 150 Bags |
| 2 | -<br>(Manrega) | Bill No. 70656 Dated 21.04.15<br>HP State Civil Supply Corp.<br>₹45180 | 180 Bags |
| 3 | 02 Dated 05.06.14<br>(Water Sed) | Bill No. 265 Dated -<br>M/s Rana Hardware<br>₹19500 | 60 Bags |
| 4 | 04 Dated 21.01.15<br>(Water Sed) | Bill No. 128713 Dated 02.02.14<br>HP State Civil Supply Corp.<br>₹7530 | 30 Bags |

**16 विहित रजिस्टरों का रख रखाब न करना :-**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपतिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

1. खाता वहियाँ तैयार न करना ।

2. अनुदान रजिस्टर
3. भण्डार रजिस्टर
4. यात्रा भत्ता बिल का जांच पड़ताल रजिस्टर ।
5. गृहकर का रजिस्टर तैयार न करना ।
6. रसीद बुकों का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना ।
7. अग्रिम रजिस्टर तैयार न करना ।

**17 प्रत्यक्ष सत्यापनः-**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

**18 लघु आपति विवरणिकाः-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी -2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

**19 निष्कर्षः-** लेखों में उचित सुधार की आवश्यकता है।

**हस्ता/-**
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.
फोन नं0 0177-2620881

पृष्ठांकन संख्याः-फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)109/2017-खण्ड-1-4895-4898 दिनाँक 09.08.2017 शिमला-09,

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

**पंजीकृत**
1 सचिव, ग्राम पंचायत द्रुग, विकास खण्ड पंचरूखी, जिला कांगड़ा, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी, काँगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला काँगड़ा, हि0प्र0
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड पंचरूखी, जिला काँगड़ा, हि0प्र0

**हस्ता/-**
(चन्द्रेश हाण्डा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.
फोन नं0 0177-2620881